उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या–68 /XXXVI-A-1/2020-51/2016
देहरादूनः दिनांकः 14 फरवरी, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी लोक अदालतों में जन उपयोगी सेवाओं के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अध्याय VI-क के प्रयोजनो हेतु जनहित में धारा 22–क के खण्ड (ख) में उपखण्ड (vi) के पश्चात उपखण्ड (vii) में **"बैकिंग एवं वित्तीय सेवा"** को सम्मिलित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(प्रेम सिंह खिमाल)
सचिव

संख्या– 68 (1)/XXXVI-A-1/2020-51/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. समस्त जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।
10. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सयन सिंह)
अपर सचिव